न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत,न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार(.आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 22-5-18
फैसल दि0 22-5-18

श्री राजेन्द्र कुमार बलाई (वादी)

अनवान बनाम

भूमीधारी तहसिलदार सागवाड़ा (प्रतिवादी)

वादी श्री राजेन्द्र कुमार बलाई ने वाद प्रस्तुत कर मोजा ठामटीया के खाता नम्बर 603 जमाबन्दी सं0 2072-75 में अंकित स्वयं/पिता का नाम राजू पिता भोगा गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार पिता भोगा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम राजू पिता भोगा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम राजेन्द्र कुमार पि० भोगा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा ठामटीया की जमाबन्दी संवत 2072-75 के खाता संख्या 603 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम राजू पिता भोगा में संशोधन कर सही नाम राजेन्द्र कुमार पिता भोगा दर्ज रेकार्ड किया जावे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner